

IAS Mentorship

With Reyasat Ali sir & Experienced team in CSE prep

CSE Main 2023: Mini Mock Test 5

Syllabus:

-
- Polity (Sectional Test, 10 Question)
-
-

Name of Candidate

MOHAN MANGANA

Email Id

Date

Medium: Hindi / English

Time: 1 Hour & ½ Hours

Start Time:

End Time:

Q. No.	Max. Marks	Marks obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	15	
7	15	
8	15	
9	15	
10	15	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
Total	125	
Invigilator	Signature	

WhatsApp/Telegram/Text/Call: 8090528260



IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

	Excellent	Good	Average	Unsatisfied
Introduction				
Conceptual Understanding				
Contextual Clarity				
Content Enrichment				
Presentation				
Alignment				
Contextual Justification				

Overall Feedback:



IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Overall Feedback.....

Dear aspirant

your knowledge base is very good and excellent also your thoughts process is clear you have used articles and recommendation very well also supmerw court judgment have also been used excellently

however as far as conclusion is concerned there is herd ro improve it you need to emphasize on futuristic approach what can be done to adress the issue should be your priority like in nct question you can always mention that stake holders approach can be followed

presentation also you need to work in many questions it is observed that you have run out of space that's not desirable so try to write a little smaller

structure of questions are upto the mark

good attempt perhaps the best I have seen in many aspirants

fair chance of selection

all the. best and keep writing

Total 62.5/125

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q1. Objective resolution which forms the preamble of the constitution and contain the philosophy, the vision and the goal of the constitution. Comment 150 words

उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तुति 13
दिसंबर 1946 को अवाहर साल नेहरू व दाय
संविधान की ~~जर्नि~~ 22 जनवरी 1947
को सर्वसम्मति से अपना लिया गया।
उद्देश्य प्रस्ताव की बूमिडा

very good
introduction
good use of the
dates

प्रस्तावना निर्माण में

- ↳ संविधान शक्ति का स्रोत भारत की जनता को मानना।
- ↳ असंख्यकों व संवेदनशील वर्गों हेतु सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक गण की व्यवस्था
- ↳ भारत को एक संघ के रूप में गणतंत्र देश की स्थापना का प्रस्ताव → तत्कालीन प्रांतों, रिजासतों व प्रविश्य में अधिग्रहित सत्तों के द्वारा इसी प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव

also mention
about various
forms of society
that we wanted
to establish

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

ने इन प्रावधानों को भी रखा किन्तु काशी पर संविधान को मूर्त रूप दिया

① सार्वभौमिक प्रताधिकार - अनु 326

② शक्ति पुन्यञ्जल का सिद्धान्त - अनु. 50

③ राज्यों के साथ सहकारी संघवाद की स्थापना → अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रसंगी की बात

④ धार्मिक सहिष्णुता व समतापूर्वक समाजवाद स्थापना हेतु राज्य के कर्तव्य की बात → DPSP के रूप में प्रकीर्ण

⑤ राज्य की सीमित भूमिका व जनता को मूलाधिकार द्वारा रसा प्रदानता जैसे मूल्य उद्देश्य प्रस्ताव काधारित।

इस प्रकार संविधान के निर्माण के प्रारंभिक चरण में जो मूर्त रूप प्राप्त करने व भारतीय संविधान लक्ष्यों की पूर्ति में उद्देश्य प्रस्ताव ने कायान्वित भूमिका निभायी

also the important part is what sort of government we mean to establish what will be it's aim and goals that you can include in your answer

see passing of objective resolution was the new beginning for India that fact should be mentioned

4/10

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q2. To make the electoral system of India robust and fair, time has come that Representation of People act need reform. Comment in the context of recent issues. 150 words

जनप्रतिनिधित्व अधि. 1950 के तहत चुनाव संबंधी गतिविधियों प्रतिनिधियों पार्टियों की कटौत संबंधी प्रावधान शामिल है। परन्तु बदले परिवेश में इनका संशोधन आवश्यक है।

RPA 1950 & 1951 में संशोधन की आवश्यकता

↳ राजनीति का बढ़ता कार्याधिकरण
17वीं लोकसभा → 43% (ADP रिवॉल्यूशन)

↳ पार्टियों द्वारा खर्च व चुनावी धांधली में शामिल रहना

↳ बढ़ती जनसंख्या व वोट संख्या - चुनाव क्षेत्रों का बहुतांश पारदर्शिता

↳ चुनावी फ्रॉगिंग → राज्य अथवा निजी में जुड़ फैसला जरूरी

↳ प्रतिनिधियों की कटौत संबंधी मुद्दे
↳ ECI को काफी कम शक्तियाँ

Person always start with a subtle introduction like elections are needed for a robust and vibrant democracy

note speeches issue of money power getting used in elections

example of panchayat election of Bengal can be included

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

↳ पार्टियों के चुनाव चिन्ह व रजिस्ट्रेशन के संबंध में हालिया विवाद → RPA में एपेंड प्रवधान जरूरी। इ.प्र. शिवसेना मामला

good example given

निम्न क्रम उद्योग की आवश्यकता

↳ ECI की शक्तों को बढ़ावा (इ.प्र. ARC) ↳ पार्टी विपरीतकरण, बिना चुनाव चर्चिता के भी प्रतिनिधि अहंता जॉय की

some of the initiatives taken by election commission like declaration of income by the candidates

↳ राजनीति में अपराधिकत्व पर रोक हेतु प्रवधान (डिनेश जोषाजी समिति) ↳ पार्टियों द्वारा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन गहन मामलों में चुनाव लड़ने पर रोक जरूरी।

↳ वोटर पेंनेशन बढ़ाने व प्रागस्करता हेतु संस्थागत व आर्थिक सहायता प्रवधान ⇒ चुनावी कंडिग का दारक्रिड मांसु अंतः पार्टी लोकतां हेतु प्रवधान बना

जिस प्रकार विरु की स्वतः की लोकतां उपवस्था हेतु पार्टीला-जवाकंदी के साथ वोटर शासन निर्माता तैयार करने में RPA संबंधित सहलपूर्ण होगा।

good conclusion 4.5/10

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q3. Even after three decades after passage of 74th Constitutional amendment act, most of the Urban Local Bodies (ULBs) were unable to deliver desired municipal governance. Comment. 150 words

74th संविधान संशोधन 1991 द्वारा संविधान में अनु. 243(2) जोड़ा गया जो कि शहरी स्थानीय स्वशासन के लोकतंत्रीकरण हेतु कई प्रावधान करता है। परन्तु 30 वर्षों के बाद भी इनका प्रदर्शन निरंतर स्तर माननीय नहीं रहा जो कि अविषय है।

कारण

- प्रभावी वित्त आपूर्ति कमी
 - ↳ राज्य सरकारों के कथित कर्तव्य व राजस्व स्रोतों के साधनों की कमी
 - ↳ स्थानीय स्वशासन इकाइयों के पुनर्वाक में होने वाली धांधलियाँ → स्थानीय दलों का प्रभुत्व
 - ↳ राज्य वित्त आयोग की भूमिका अलाहकारी
 - ↳ राज्य पुनर्वाक आयोग का राज्य सरकारों के प्रभाव में कार्य → सीट सीमांकन जैसे

you can always start it as a case of democratic decentralization and grassroots democracy

issue of non executive officials downing major place in decision making

non election of mayors

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

↳ ग्रामिणा आरक्षण के बावजूद 'स्टैम्प प्रलिनधि' के रूप में ही भूमिका

↳ तकनीकी नवाचार व आधुनिक विचारों को अपनाने में तथापिवाद → अण्डाल ULBs द्वारा अचरा निपटान, सीकेए सप्लर जैसे कार्य परंपरागत रूप में ही कला।

अस्वरत → प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन

↳ राज्य सरकारों को स्थानीय स्वशासन हेतु कार्य के बावजूद पर वित्त (15वें वित्त आयोग)

↳ असाधान हेतु स्थानीय सैन प्रसला प करी जैसे - स्वच्छता, पेयजल, जैसे खासि से।

↳ सरकारी मशीनरी हस्तक्षेप कम हो तथा सहाय्यता की भूमिका में कार्य

↳ ग्रामिणा पोषणा समितियों के निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकारों द्वारा वित्त प्रदायगी।

↳ वित्त व राज्य पुनव आयोग सिफारिशों को SLDC में प्रकाशन व अवापदेही सुनिश्चित है।

हेतु प्रभावी अतः लोकतंत्र के हल स्थानीय स्तर पर प्रभावी अवापदेही व विस्थापित बहाली के साथ अर्थात् स्वच्छता/ISDP लक्ष्यापूर्ति में सहाय्यता सिद्ध होगी।

you can also include less number of subjects under the domain of ulbs

examples like municipalities providing municipal bonds be given that's an important initiatives

5/10

प्रदानगी → सुरक्षा प्राप्ति से वेबोफ़ कर्ष कला

↳ शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त संतुलन हेतु आवश्यक

संबंधित मुद्दे

→ अनु. 14 के समानता के अन्तर्गत


issue of anti defection laws getting violated

का संबंधन ⇒ संसद विशेषाधिकार का अनु. 19 का

↳ कार्यवाहियों का प्रकाशन नियंत्रण - स्वतंत्रता (अनु. 19) के खिलाफ

↳ वर्ती राजनीति द्वारा दस्तावेजिता → कानूनी कार्यवाहियों से कचरे का शास्ता।

मुद्दे से निपटने हेतु जबरन



role of speaker becomes very important in this context you can always include role of speaker to give validity to your answer 4/0!

इस प्रकार एक प्रभावी व जवाबदेही लोकंत्र में जनता व प्रतिनिधि सरकार के बीच विशेषाधिकार पूरी ना हो बल्कि सामान्याधिकार व्यवस्था द्वारा विश्वास बढ़ानी है।

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

5. The Seventh Schedule was inherited from the Government of India Act, 1935 that is a relic of the colonial past. Do you think that the lists in this schedule reflect the complex realities of India at present or need to go for a revisit? Justify your view 150 words

हाल ही में किसी विन श्रम के सिंह द्वारा स्वी कानून के द्वारा मूल्यांकन की बात की ओर ध्यान देगी कली है।

good context given you are updated with current affairs thats a good thing

उदाहरण → भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा

प्रावधान → केन्द्र, राज्य के बीच विभागों का अधिकार विभाजन
(केन्द्र सूची 100 विषय)
(राज्य सूची 61 विषय)

mention some of the ambiguous subjects like agriculture in state list but demands in center list

समवर्ती सूची → राज्य-केन्द्र दोनों का अधिकार (52 विषय)
अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को

उपनिवेशवादी संकीर्णता का प्रतिनिधित्व

→ राज्य की शक्तियों में निरंतर कमी
(उदाहरण के तौर पर 66 से 61 विषय की)
→ समवर्ती सूची विषयों पर भी केन्द्र

important subjects of state concern like epidemic under center list

कानून की सर्वोच्चता

↳ आवश्यक शक्तियाँ केक के कारण केन्द्र

changing dynamics bringing new subjects but are given to state by default

↳ आपातकाल (अनु. 352, 356, 360) के दौरान राज्य विधायी, कार्यकारी व वित्तीय शक्तियों का अग्रजोर होगा।

कित: वर्तमान के अनुसार 7वीं अनुसूची के पुनर्मुल्यांकन की आवश्यकता है

• आवश्यक शक्तियाँ राज्यों को प्रदान (संरक्षित अधिकार)

• समकाली मुची विषयों पर राज्यों के महत्व वाद ही कानून निर्माण (NCRWC 2010)

very good mention of the recommendation of various commission

• आपातकाल (अनु. 352) के दौरान राज्य की विधायी-कार्यकारी स्वायत्तता बनी रहती अर्थात् → स्थानीय आपातकाल का प्रावधान है (II RC)

good 6/10

• राज्यपाल की नियुक्ति व कार्य का संवैधानिक अर्थ। (पुंजी अर्थो)

द्वेष का विनियमन शाहवादी संघवाद के मूलभूत व कार्य से ही संभव होगा। यह 7वीं अनुसूची में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार संशोधन पर निर्भर करता है।

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q6. "The use of sedition is like giving a saw to the carpenter to cut a piece of wood and he uses it to cut the entire forest itself". In the light of above statement examine the need or relevance of IPC Section 124A. 250 words

इस सरकार के प्रति घृणा, विंसा व
केड शब्दों का प्रसार कर उसे
अखिर उसे का प्रमाण उजा शमकोट
के तहत खाला है। यह IPC 124A
के तहत संस्य - गैर धमानी अपराध है

good mention about reasonable restriction mention in Indian constitution also

शमकोट धारा की आवश्यकता

वर्षा आतंकवाद व कहरता
नासिड, बंगलोर में कम धमाके का
प्रशासन को चुनौती

केड न्यून व सोशल मीडिया वर्युअल
रिमिडि द्वारा 'मातु डिस्टर्बेन्स' कला
उदा CAA के दौरान

issue of riots and law and order getting disturbed due to hate speeches

संविधान की रसा व संप्रभुता-अवस्था
का बचाव जरूरी

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

↳ पुलिस को अपनी कार्यवाही हेतु प्रावधान व दिशानिर्देश प्रदानता

↳ कदली भाव लिंगिय व पंजाब-सुरोत्तर में अलगवादी दिशा

परन्तु हमारे वाक्यभूत इसके कई महात्म्य पर सवाल यहाँ करो हैं -

• पुलिस शासन की स्थापना → कर्जन द्वारा 1902 में भारतीय अंडोलन के विरुद्ध इस्तेमाल हेतु प्रयोग।
→ शेलेर एक्ट का दूसरा स्व

• राजनीतिक प्रतिवृत्ति द्वारा प्रयोग
↳ मुख्यतः सिविल नोसायटी अपकृतियों व पत्रकारों के खिलाफ

• इसमें 'असंतोष' शब्द की अस्पष्टता के कारण पुलिस द्वारा दुरुस्तेमाल

good

you can always include the data of very less cases getting prosecuted only 3 percent rest getting rejected by the judiciary

used by legitimate government to suppress dissent



IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

↳ अल्पसंख्यक कम दोषाधिक्य दर → 2.21.
↳ अनु-19 का धन (NERB) good point
अतः निम्न कदम उद्योग की प्रकृति है

→ 'इन्ताराइमेंट', 'दस्तावेज' जैसे शब्दों की स्पष्टता जरूरी (इस विधायक वाद 2015)

→ गिरफ्तारी व प्रक्रिया को असंजोच्य बनाया → वाद की कड़ी निवारण हो

→ अंतिम दोषाधिक्य के स्तर में प्रयोग (विधि आयोग)

→ 'बर्न कैंड बुक' शिआपतकर्ता पर हो

→ दोषाधिक्य से पूर्व गिरफ्तारी प्रक्रिया गोपनीय → क्योंकि सामाजिक उलट के स्तर में देखा जाना

इस प्रकार बढ़ते दोषाधिक्य प्रकार से निपटने और नागरिक सुरक्षा व अधिकारों के बीच संतुलन हेतु IPC/24A में व्यापक परिवर्तन आप के भारत की प्रकृति है।

only special court can give verdict

in conclusion you can always include the international practices where sedition has been abolished by many countries

Q7. Implementation of Uniform Civil Code at present has many prospects, how ever there are many challenges associated with it. Comment 250 words

समान नागरिक संरक्षा संविधान के नीति निर्देश तत्वों का भाग है जो कि अनु. 14 के तहत सरकार को सभी धर्म, जातियों, पंथों हेतु एकसम कानून प्रक्रिया अपनाने का निर्देश देती है।

good introduction mention about the goa having UCC

UCC की जरूरत - प्रासंगिकता

↳ संवैधानिक जनादेश की पालना

↳ एक देश-एक कानून द्वारा अखंडता व एकता की भावना बलवती

important from integrity and unity of the nation

↳ महिला अधिकारों मुख्यतः विवाह, तलाक़ व संगति संबंधी में सुधार - MSDPs की लक्ष्यपूर्ति

also fundamental duty of maintaining fraternity

↳ अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन के विरुद्ध कार्य कर सामाजिक व मुख्य धारा में लाना आसान

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

↳ राजनीति का धार्मिकीकरण व साम्प्रदायिकता
पर लगाम लगेगी।

↳ प्रशासनिक स्तर से एड कानून के
अन्तर्गत उई काम स्वच्छता व व्यवस्था व व्यवस्था व व्यवस्था
को कानूनी प्रक्रिया में देना
ज्यादा तब पहुँच आसक

↳ धर्म आधारित ज्यादा वैतनिक को दूर
आ नागरिक आधारित ज्यादा → कई
जुन वे को हयकर मूलाधिकारों की
रक्षा

परन्तु कई पुरोक्तियाँ भी शामिल हैं

① अनु. 25 & 26 में धार्मिक स्वतंत्रता
का हमल

② राज्य द्वारा धार्मिक व असंख्यकों
के सम्बन्ध में असंतोष

③ असंख्यकों को पर असंख्यकों को

Muslims will not be considered as mere vote banks

good

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

3) ~~कानून व इच्छा के घोषणा~~

4) ~~व्यापक सांप्रदायिक दंगों व मान-माला का खतरा~~

5) ~~विविध कानूनों के बीच असंगतता व असंगत अधिकार ⇒ एकमत बना मुश्किल~~

असंगतता → ~~पूरे के एक व्यापक कानून की असंगतता का यह देश को है~~
(सुनीम कोटि का यह बाने, शायद कानून कोटि में भी असंगत)

असंगतता → ~~डाफ्ट विल क्वार्टर पब्लिक डोमेन के रखना - व्यापक चर्चा असंगत~~
↳ सभी हितधारकों को ~~असंगत~~ करना → ~~मूलाधिकारों व संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ⇒ असंगतता बटान~~

↳ ~~आत्मसंरक्षण के कानूनी हितों का ध्यान रखना असंगत~~ → ~~विशेष प्रावधान द्वारा इस प्रकार 'एक देश - एक कानून'~~

~~वाली कला के साथ ही असंगत व्यावहारिक समन्वय की भी असंगतता तब तक एक बार~~

~~असंगतता की स्थापना हो~~

very good answer
7/15

IAS Mentorship

By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

Q8. Increasing incidents of defection by legislators in many states in recent time are making mockery of democratic representative form of parliamentary system. How it can be checked? Justify your views with suitable explanations and examples. 250 words

दलबद्धता कानून का प्रावधान
52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा
दिया गया जिसमें 10वीं अनुसूची के
तहत दलबद्धता को गैर-कानूनी बना
दिया गया।

you can always mention that it was enacted to prevent horse trading in politics

प्रावधान → 2/3 से कम सदस्य किसी
दूसरी पार्टी में जाने पर संसद
विधायक सदस्यता रद्द।
विधे के अनुसार निर्दिष्टान पर
कार्य करना बाध्य
अयोग्यता निर्धारण या दंडित
सदन पदाधिकारी को।
कैसे दोषोद्धार वाद 1993 के तहत
अयोग्यता निर्धारण पर कानूनी समीक्षा

also prevents use of money power in politics

good use of the SC judgment

परन्तु हाल के समय में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में दलबद्धता कानून

आ कई तरीकों से इसका रक्षा है -

① स्पीड द्वारा अयोग्यता रद्द होने में स्वतंत्रता → समय-सीमा का बंधन नहीं

mention supreme court observation on the same

② पार्लियामेंट द्वारा मानवसूचक सदस्यों को दलबल्य ~~सदस्यों~~ को तत्काल अयोग्य उठवाना → वागी ~~सदस्यों~~ को

also disqualification have been contested in court which results in undue delay

③ सदस्यों की पार्लियामेंट स्वतंत्रता निचारा का महत्व ज्वाल हुआ

④ पार्टी सदन पार्लियामेंट की शुद्धता

कतः इस समस्या से शीघ्र सुलझाने की ज़रूरत है

• सदन जाधिकारी हेतु निर्णय प्रक्रिया समय-सीमा के बीतर हो (अलझा दरकौरी द्वारा उभरीने का सुझाव)

- ~~पदाधिकारी को अपने निर्णय के प्रति~~
~~प्रभाव देही जरूरी।~~
- ~~इसके अलावा सदस्य को अपना पक्ष रखने~~
~~का अधिकार जरूरी।~~
- ~~II ARC → निर्णयप्रता निर्णय प्रक्रिया~~
~~युवाव आयोग व राष्ट्रपति / राज्यपाल~~
~~के अधीन वे का सुझाव → परकीरिता~~
~~वर्गी।~~
- ~~अन्तः पार्टी लोकतंत्र की परिकल्पना -~~
~~KPA-1951 में संशोधन जरूरी (NERWC)~~
~~के अतिरिक्त प्रसार विचारों के सदस्यों~~
~~के अतिरिक्त स्वतंत्रता के साथ पार्टी~~
~~दुप एड वेदक विचारों को संतुलन बनाते~~
~~आप की परिकल्पना है।~~

also suggestion and recommendation of law commission should be given importance

point mention and suggestion are very good but conclusion can be improved

you can always emphasis on role of judiciary for safe guarding Indian democracy

5.5/15

9. Describe the composition, power and functions of the ECI & Other ECs. In past the executive's role in the appointment process has come under question over transparency. How office of election commission of India can be strengthened? 250 words

संविधान के अनु. 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान है जो स्वतंत्र, गैरदलील व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संयोजन करने हेतु जिम्मेदार संस्था है।

good use of article good intro

Composition - एक मुख्य चुनाव आयोग दो चुनाव आयोग

Powers → SC के जज के समान वेतन-भत्ते

→ हराए की प्रक्रिया SC जज के समान ही

→ तीनों आयोगों की कार्यकारी शक्तें समान हैं।

5 years or 65 years maximum tenure of or age

Functions - चुनावों की समयावधि तयार करना
• चुनावों हेतु समय-समय पर जांच

IAS Mentorship


By Reyasat Ali & Team | 8090528260 Telegram WhatsApp Call

जारी करना।

- संसद सदस्यों की निर्धेयता (अनु. 102) की राष्ट्रपालि / राष्ट्रपाल को विशेष
- परिसीमन आयोग के साथ मिलकर चुनाव सीट क्षेत्र का सीमांकन निर्धारण
- विभिन्न चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण का निर्णय

implementation of RPA 1951

ECC की चयन प्रक्रिया



good points

E.C.I. मजबूती हेतु सुझाव

- ↳ ~~चयन प्रक्रिया हेतु स्पष्ट मानक व प्रक्रिया तय करनी~~
- ↳ ~~नियंत्रण संबंधी, पार्टी ~~पंजीकरण~~ हेतु आदि के निर्णय हेतु अधिकार~~
- ↳ ~~पार्टी करिंग, M.C.C. को मजबूती के तहत पारदर्शिता व बढ़ावा - E.C.I. की अर्पवाही प्रभावी होगी।~~
- ↳ ~~RPA-1950 & 1951 में प्रभावी संशोधन~~
- ↳ ~~E.C.I. के तीनों आयुक्तों की शक्ति व पदच्युति के समान प्रावधान करनी।~~
- ↳ ~~तकनीकी व आधुनिक नवाचार का जनता से संपर्क E.C.I. की निष्पक्षता बढ़ाएगा इस प्रकार ~~विधायिका-अर्पणालिका~~ का चुनाव करने वाले सक्षम को मजबूत माने हेतु मजबूती व संस्थागत उदम डालना आज की जरूरत है।~~

new power must be given to election commission in Wake of social media

good conclusion 6/15

10. Critically examine the constitutionality of The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023. 250 words

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनु. 239 A(9) का प्रयोग करते हुए NCTD (संशोधित) अध्यादेश 2023 लागू किया है जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय को धुँसता है।

प्रावधान

- ↳ राष्ट्रीय राजधानी विप्लव सेवा प्राधिकरण (NCRSA) का गठन
- ↳ NCRSA के अध्यक्ष दिल्ली मुख्यमंत्री वी.के. सिल्वरी कोर्ट मुख्य गृह मंत्री वेंगे।
- ↳ ऑन इंडिया विप्लव सर्विस (AICS) को मामलों में ड्रासक, पोलिंग आदि LG को सिकाधिया।
- ↳ LG के लिए सिकाधिया बाधकारी नहीं तथा पुनर्विचार हेतु अर्जों का अधिकार।

good

mention it to be against the tenants of representative democracy

प्रावधान से जुड़े मुद्दे

① ~~स्थापना के पूर्व नियम को चुनौती~~
सावधानी व्यवस्था मुक्ति और
पुलिस ही केन्द्र के अधीन

② ~~युने हुए प्रतिनिधि (CMA) के निर्णयों~~
के संरक्षण के बराबर कोर्ट
अधिकार → NCCSA का निर्णय
कोर्ट का पार पट।

good points
mentioned

③ अनु. 239 A(4) की लिस्ट में का
अतिक्रमण → सिविल सेवा मामलों
में LG की अनमानि शक्ति द्वारा

④ ~~केन्द्रीय प्रभुत्व~~ स्थापना की कोशिश

परन्तु यह आरोप पूर्णतः परिवर्ण
की स्थापना नहीं करते ~~कटघाट~~
के निम्न भाषने हैं → ① सिविल सेवाओं

का राष्ट्रीय राजधानी में लोकेशन
↳ फेरिंग व ट्रांसफर में निराला द्वारा

② दिल्ली सरकार व केन्द्र के बीच
बेहतर सम्बन्ध हेतु प्राधिकरण निर्माण
↳ अधिसूचना - CAG द्वारा सी।

③ LG की शक्तियों को पूर्व स्थिति
की बजाय प्रभावी बनाया गया →
तब निर्णय प्रक्रिया हेतु जरूरी।

④ राजधानी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक
विकास हेतु निम्न सेवाओं में
पाठशाला व विप्लवता लाने हेतु जरूरी।

अतः उपरोक्त अध्यादेश के
द्वारा पक्षों का विश्लेषण के बाद यह
सुझाव है कि इसे पुनः व्याख्यापित नहीं
करा जाए; साथ ही सुझाव की
भारत सरकार से भी सुझाव की
कानून रूप में इसका अध्यादेश की बजाय
व विश्वास वचनपत्रा आता बेहतर पाठशाला

very good points and answer mentioned by you

8.5/15